न्यायालय माननीय राजस्व मण्ड़ल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी क्र. /2014 R 3230 III/14

छिमाधर तनय अर्जुन गड़रिया
निवासी महेवा चक्र 4 तहसील पलेरा
हाल निवासी कांकनपुरा तहसील पलेरा
जिला टीकमगढ़ म0प्र0

.... निगरानीकार/आवेदक

श्री मुकेश भार्गव एडवोकेट
द्वारा आज दि. 23-9-14 को
प्रस्तुत
23-9-14
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

(1) शिवदयाल तनय मनगुट्टे अहिरवार

(2) दशरथ तनय मनगुट्टे अहिरवार

दोनो निवासी यान कॉकनपुरा तहसील पलेरा

जिला टीकमगढ़ म0प्र0

(3) मध्यप्रदेश शासन

....प्रतिनिगरानीकारगण/अनावेदकगण

मुकेश भार्गव
23-9-14 एडवोकेट
ग्वालियर

<u>धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व सहिता 1959 के अन्तर्गत प्रतिकूल आदेश राजस्व निरीक्षक म. बराना तहसील पलेरा के राजस्व प्रकरण कमांक 28/अ–12/2012–2013 में पारित आदेश दिनांक 18.06.2013 के विरूद्व</u>

23/9/14

महोदय,

निगरानीकार /आवेदक सादर निम्न प्रकार विनयी है ।

(1) यहकि, विवादित भूमि खसरा न. 173/4–173/9 कुल रकवा क्रमंश 1.200 हैक्टयर, 0.809 हैक्टयर कुल लगानी तीन रूपेया एवं 2 रूपेया स्थित ग्राम कॉकनपुरा तहसील पलेरा के अन्तर्गत है । जो उक्त विवादित भूमि खसरा न0 निगरानीकार /आवेदक ने दिनांक 07.10.2005 को क्रय की थी और तभी से निगरानीकार के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि इन्द्राज होकर चली आ रहीं है ।

.....

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—निगरानी—3230—तीन/2014 जिला—टीकमगढ़

छिमाधर विरूद्ध शिवदयाल आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
05—03—2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव अभिभाषक उपस्थित। 3. यह निगरानी राजस्व निरीक्षक म. बराना तहसील पलेरा जिला—टीकमगढ़ के प्र. क्र. 28/अ—12/2012—13 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 18—06—2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 03—05—2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। 5/3/19 (आर.के. जैन) सदस्य	